कानून को जानें

2

पंचायती राज

विधि एवं न्याय मंत्रालय, (न्याय विभाग) भारत सरकार एवं
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारत (यू एन डी पी)
द्वारा संचालित ''एक्सेस टू जस्टिस परियोजना''
के अंतर्गत आईसेक्ट द्वारा निर्मित

सहयोग : राज्य संसाधन केन्द्र (आर.सी.ए.सी.ई.), भोपाल, म.प्र.

पंचायती राज

कथन : प्रकाशनों में दी गई कानूनी जानकारी लेखकों का अपना दृष्टिकोण है, जरूरी नही कि भारत सरकार या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारत का भी हो। इन पुस्तिकाओं में प्रकाशित किसी भी प्रकार की जानकारी, उदाहरण अथवा घटनाएं यदि पूर्व में प्रकाशित किसी सामग्री जैसी प्रतीत हों तो यह पूर्णतः संयोगवश है जिसके लिए इस परियोजना से जुड़ी संस्थाएं अथवा लेखक किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नही हैं। इस पुस्तिका में दी गई कानूनी जानकारियों के विस्तृत और सटीक अध्ययन के लिए कृपया मूल अधिनियम या योजना को अवश्य पढ़ें। प्रकाशन के किसी प्रतिवेदन को आंशिक या पूर्ण रूप से उपयोग करने से पूर्व न्याय विभाग, भारत सरकार एवं यू.एन.डी.पी. भारत की स्वीकृति के साथ लेखक का नाम, प्रकाशन का वर्ष आदि का उल्लेख करना जरूरी होगा।

परिकल्पना एवं श्रृंखला संपादन : संतोष चौबे

मूल लेखक : संतोष कौशिक एवं श्याम बहादुर नम्र

संपादन : परियोजना संपादक मंडल

प्रारूप एवं समन्वय : शिल्पी वार्ष्णेय

चित्रांकन : ब्रज पाटिल

आकल्पन : वंदना श्रीवास्तव

आभार : राज्य संसाधन केन्द्र, भोपाल एवं लेखकगण

टंकण : मुकेश सेन, विवेक बापट

प्रकाशक : आईसेक्ट, भोपाल

संस्करण : प्रथम, अगस्त 2011

मुद्रक : दृष्टि ऑफसेट, भोपाल

Copyright © Department of Justice, Govt. of India and UNDP India 2011

सर्वाधिकार सुरक्षित, भारत में प्रकाशित

अपनी बात .....

साक्षरता के आधार पर एक सुदृढ़ एवं विकसित समाज आकार लेता है। कानूनों की आधी-अधूरी जानकारी अक्सर बड़ी उलझन में डाल देती है। कानूनों की सही जानकारी ही हमें अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सचेत करती है। कानूनी साक्षरता के अभाव में निरक्षर ही नहीं पढ़े-लिखे लोग भी अक्सर ठगे जाते हैं।

विधि एवं न्याय मंत्रालय, (न्याय विभाग) भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारत (यू एन डी पी) की मदद से आईसेक्ट का प्रयास है कि रोजमर्रा के कार्यों और जीवन से जुड़े बहुत से महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारियां सरल भाषा में पुस्तकों के माध्यम से आप तक पहुंच सकें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये इस पुस्तक में पंचायती राज, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में पद का आरक्षण, ग्राम पंचायत की समितियां, ग्राम पंचायत की आय के स्रोत, जनपद और जिला पंचायत का गठन से संबंधित अधिकारों, इनसे जुड़े सभी जरुरी कानूनों को संकलित कर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

हमारा विश्वास है कि हमारे प्रकाशन आप तक पहुंचकर अपने उद्देश्यों में सफल हो सकेंगे।

संतोष चौबे

महानिदेशक, आईसेक्ट

एवं अध्यक्ष, राज्य संसाधन केन्द्र, भोपाल

संदर्भ सामग्री

आईसेक्ट द्वारा निर्मित ''कानून को जानें'' श्रृंखला में जो भी पुस्तकें तैयार की गई हैं उनमें लेखकों द्वारा संदर्भ सामग्री के रूप में उन प्रतिष्ठित पुस्तक-पुस्तिकाओं की मदद ली गई है जो कानून की सटीक जानकारी देकर ''न्याय तक पहुंच'' परियोजना को सफल बनाने में ज्यादा उपयोगी हो सकें जैसेः कानून संबंधी प्रकाशन, कानूनी साक्षरता एवं प्रशिक्षण से जुड़ी संस्था मार्ग, सभी संबंधित राज्य संसाधन केन्द्र, जामिया मिलिया-नई दिल्ली, उत्तरांचल राज्य महिला आयोग एवं संबंधित राज्यों के राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण। हम इन सभी संस्थाओं एवं प्रकाशकों के अत्यंत आभारी हैं। इनकी मदद से ही कानून से जुड़ी विविध और सटीक जानकारियों को हमारे स्त्रोत तथा अनुभव के साथ इन पुस्तकों में एकत्रित करने का प्रयास किया गया है ताकि इनका लाभ ''न्याय तक पहुंच'' परियोजना के माध्यम से हाशिये पर जी रहे और अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके।

AISECT

अनुक्रम

1.	कहानी - पंचायत से मिला हौसला	1
2.	पंचायती राज : 73 वां संशोधन	9
3.	ग्राम सभा	10
4.	ग्राम समितियां	17
5.	ग्रामकोष एवं ग्राम पंचायत	18
6.	ग्राम पंचायत में पद का आरक्षण	19
7.	ग्राम पंचायत की समितियां	22
8.	ग्राम पंचायत की आय के स्रोत	24
9.	जनपद और जिला पंचायत का गठन	25
10.	पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 या "पेसा अधिनियम 1996"	28
11.	मछुआरों एवं कचरा बीनने वालों के अधिकार	33

1. कहानी – पंचायत से मिला हौसला

गांव सेमली यूं तो शहर से अलग-थलग एक छोटा-सा गांव था। लेकिन कई मायनों में इसकी एक अलग पहचान थी। ग्रामीणों ने यहां हरियाली को बचा कर रखा था। पंचायत ने भले ही अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह नहीं निभाया हो लेकिन ग्रामीण मिल-जुलकर अपने आने वाले कल को सजाने-संवारने में लगे रहते थे। अपने कुएं-बावड़ी और तालाबों को सहेज कर रखा था उन्होंने। पंचायत से जितनी मदद मिलना चाहिये थी नहीं मिली। पंचायत कार्यालय में एक उदासी सी हर समय पसरी रहती थी।

कार्यालय में सरपंच बदरीलाल के महीनों दर्शन नहीं होते थे। हां, उपसरपंच शंकरलाल जरूर यहां आते-जाते रहते थे। पंचायत का मुखिया ही नींद में था, सो पंचायत भी आधी सोयी थी आधी जागी। कुछ लोहा खराब था तो कुछ लुहार।

सरपंच बदरीलाल की अपनी पत्नी नर्मदा से कभी नहीं पटी। शादी को वैसे तो 6 साल हो गये थे। दो संतान भी थीं। लेकिन बदरीलाल की करतूतों की वजह से पत्नी के साथ अनबन ही रही। पंचायत में किये गये उल्टे-सीधे कामों की जांच आये दिन चलती रहती थी। बदरीलाल कुढ़ता रहता और सारी भड़ास घर पर निकालता था। घर में क्लेश बढ़ता गया। पानी सर से ऊपर हो गया तो नर्मदा अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके अमरपुर चली गई।

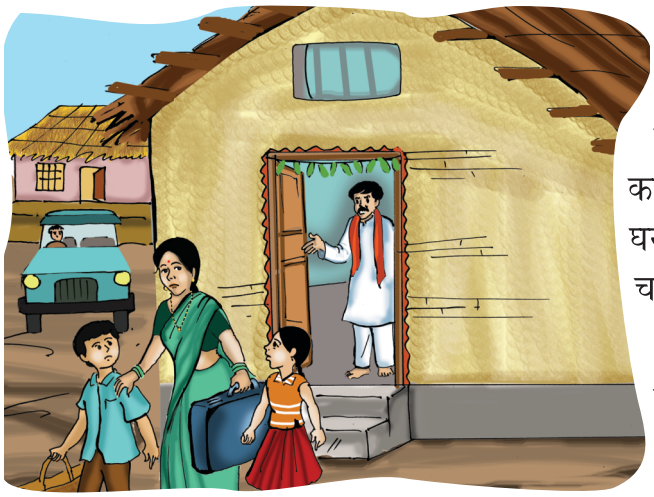

गांव में धीरे-धीरे सुगबुगाहट होने लगी कि सरपंच को बदला जाना चाहिये। लोग यहां तक कहने लगे थे कि जो सरपंच अपना घर नहीं चला सका वो पंचायत क्या चलायेगा।

गांव वालों की यह परेशानी सरकार ने हल कर दी। सेमली पंचायत के सरपंची पद को महिलाओं के लिए आरक्षित घोषित कर दिया गया।

बदरीलाल घर के बाहर अखबार हाथ में लिए गुमसुम बैठा मन ही मन सोच रहा था-

''सरपंची के छः महीने और बचे हैं। परिवार भी गया और सरपंची भी जाने वाली है। सर उठाकर चलने के दिन अब खत्म। पूरा गांव भी मुंह फेर कर बैठा है। थोड़ी बहुत पूछ-परख हो जाती थी। अब वो भी जाती रहेगी।''

इसी बीच उपसरपंच शंकरलाल वहां पहुंचे ''राम-राम सरपंच साहब''

''आओ भाई शंकरलाल'' बदरीलाल ने कहा। ''बैठो।''

पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए शंकरलाल ने भी बदरीलाल की दुखती रग पर हाथ रख दिया वो बोला- ''पढ़ा अखबार..... सेमली पंचायत में अब महिला सरपंची करेगी।''

''हां पढ़ा भैया। बैठा-बैठा यही सोच रहा था। अब हम क्या करेंगे?''

शंकरलाल अपनी कुर्सी को पास सरकाते हुए बोला- ''सरपंच साहब एक रास्ता है यदि आप चाहो तो।''

''क्या?''

''भाभी को ले आओ..... चुनाव लड़वा दो'' शंकरलाल बोला। ''जिताने की जिम्मेदारी हमारी- सरपंची घर में ही रहेगी..... सांप भी मर जायेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।''

बदरीलाल को लगा किसी ने उसके कानों में अंगार डाल दिये हों।

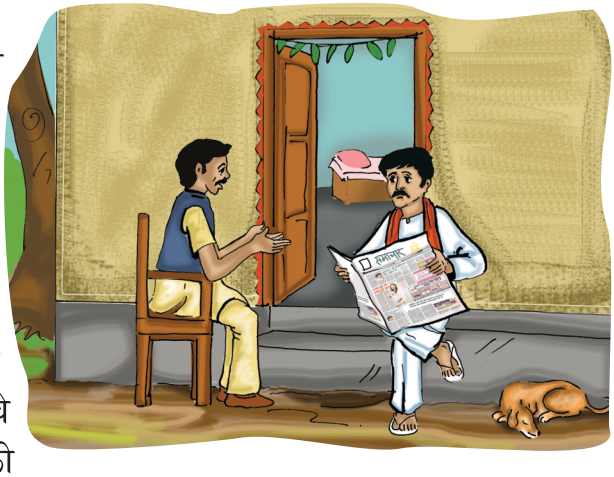

'नहीं शंकरलाल ये नहीं हो सकता''।

''क्यों?''

''कब्रिस्तान गये मुर्दे वापस नहीं लौटते।''

''अरे भैया, कैसा कब्रिस्तान कैसे मुर्दे। अपना परिवार है- अपने बच्चे हैं। दो मील की मत सोचो सौ मील की सोचो। सरपंची घर के घर में रहेगी। पूरे गांव में सौ तरह की बातें हो रही हैं। उनका भी मुंह बंद हो जायेगा।''

''लेकिन.....।''

''लेकिन वेकिन छोड़ो। हमारी भी मान लिया करो। भाभी को मना कर ले आओ।''

शंकरलाल की बात सुनकर बदरीलाल के तेवर थोड़ा ढीले पड़ने लगे। वो बोला-

''लेकिन किस मुंह से जाऊं- दो साल से चिट्ठी-पत्री तक बंद है।''

''सुबह का भूला शाम को घर लौट आये तो कोई कुछ नहीं कहता। भैया बाल-बच्चों से ही परिवार है--- इज्जत है। और फिर छः महीने बाद की सोचो..... सरपंची चली गई तो मूंछें नीची करके चलना पड़ेगा। भाभी तो जीती ही रखी है। पढ़ी-लिखी है। पूरा गांव आज भी उन्हें याद करता है। मैं तो तुम्हारे फायदे की कह रहा हूं। भैया आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा मैं चलता हूं राम-राम.....।'' शंकरलाल चला गया।

रात हो चली थी। बदरीलाल की आंखों में नींद कहा। जाऊं..... ना जाऊं। इसी उधेड़बुन में रात बीत गई।

सुबह होते-होते, बदरीलाल ने अमरपुर जाने का मन बना ही लिया। आखिर सरपंच की कुर्सी से चिपके रहने का लालच जो था।

और शाम होते ही बदरीलाल अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल के लोग चौंक गये। वे नाराज जरूर थे लेकिन दामाद के आते ही तमाम मनमुटाव मिट गया। लेकिन नर्मदा उसके साथ लौटने को तैयार नहीं थी। पिता, बहन, भाई सब समझा-समझा कर हार गये। नर्मदा

टस से मस नहीं हुई। मां ने उसे अलग एक कमरे में ले जाकर समझाया-

''देख बेटी- मैं तेरी मां हूं.... तुझे जीवनभर अपने साथ रखकर खिला सकती हूं। मैं तेरी तकलीफ तेरे दुख को भी समझती हूं।''

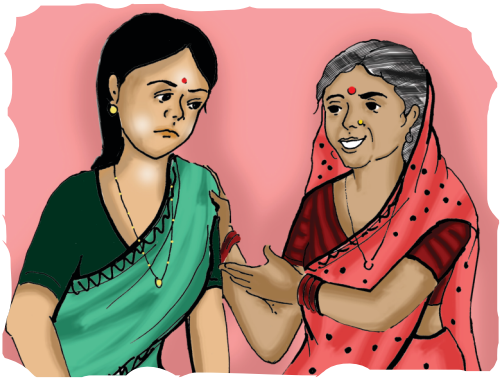

''माँ तू समझ नहीं रही है..... उन्हें मेरी जरूरत नहीं.....उन्हें तो सरपंची की जरूरत है''.....नर्मदा बोली।

मां ने कहा- ''वो तो मैं भी समझ रही हूं नर्मदा, लेकिन यही सही वक्त है उलझी गुत्थी सुलझाने का।''

''वो कैसे''

''ससुराल लौटकर तू चुनाव लड़। सरपंच बन कर दिखा- तू पढ़ी-लिखी है सरपंची हाथ में आते ही तेरे हाथ में ताकत आ जायेगी---- फिर तुझे या तेरे बच्चों को भी कोई परेशान नहीं कर सकता----- मुझे पूरा भरोसा है तू गांव को भी सुधार सकेगी और इस नालायक को भी। तू जा, सेमली को भी तेरी जरूरत है बेटी।''

नर्मदा को मां की बात थोड़ी-थोड़ी समझ में आने लगी थी। उसे लगने लगा था सेमली लौटने में ही भलाई है।

और नर्मदा अपने बच्चों को लेकर सेमली लौट आई। बदरीलाल को उसका लौटना अच्छा लगा हो या नहीं लेकिन गांव वाले बहुत खुश थे। वे नर्मदा को बहुत सम्मान देते थे। एक तो वो पढ़ी लिखी थी और सामाजिक कामों में रूचि लेकर गांव के हित में कुछ न कुछ करती रहती थी।

देखते ही देखते सरपंची के चुनाव आ गये। नर्मदा ने सरपंची के लिए पर्चा भर दिया।

नर्मदा सरपंच बनना चाहती थी गांव की भलाई के लिए। बदरीलाल को सुधारने के लिए। बदरीलाल उसे सरपंच बनाना चाहता था कुर्सी के लिए। सरपंची के लिए गांव वालों की जुबान पर बस नर्मदा का ही नाम था।

चुनाव का दिन आ गया और नर्मदा को निर्विरोध चुन लिया गया।

पूरा गांव खुशियाँ मना रहा था। पंचायत कार्यालय पर सरपंच के आगे से बदरीलाल का नाम मिटाकर लिख दिया गया ''श्रीमती नर्मदा''।

अब हालात पूरी तरह बदल गये थे। नर्मदा अब सरपंच नर्मदा थी। बदरीलाल की जगह अब नर्मदा थी और नर्मदा की जगह बदरीलाल। पंचायत कार्यालय नए तरीके से सजने-संवरने लगा। लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। नर्मदा अब अपना ज्यादातर समय पंचायत के कार्यों में बिताती थी।

कहीं जनभागीदारी से योजनाएं बन रही थीं। महिलाओं की बैठकें होने लगीं। ग्राम सभाएं सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित होने लगीं। कहीं वृक्षारोपण तो कहीं जल संग्रहण।

गांव के स्कूल में अध्यापक समय से आने लगे। ढोर चराने वाले और मजदूरी करने वाले बच्चे स्कूल जाने लगे। पंचायत के सभी काम गति पकड़ने लगे लेकिन एक दिन पंचायत कार्यालय में एक अजीब घटना घटी।

रोज़ाना की तरह पंचायत कार्यालय सुबह दस बजे खुला। कार्यालय खुलते ही बदरीलाल अन्दर आकर सरपंच की कुर्सी पर बैठ गया। कार्यालय के सभी लोग चौंक गये। डर भी गये थे। उनकी कुछ समझ में नहीं आया। तभी अचानक नर्मदा ने प्रवेश किया। बदरीलाल को सरपंच की कुर्सी पर बैठे देख नर्मदा भी अचम्भे में पड़ गयी। उसने बड़ी शालीनता से कहा-

''ये सरपंच की कुर्सी है, आप सामने बैठ जाइये।''

बदरीलाल को बहुत बुरा लगा। वो खड़ा हुआ और आग बबूला होकर नर्मदा को घूरते हुए कार्यालय से बाहर निकल गया। नर्मदा ने मुस्कुराकर इस घटना को रफा-दफा करने की कोशिश की।

नर्मदा को आने वाले तूफान का अंदाजा था। वो जैसे ही घर पहुंची बदरीलाल बरस पड़ा-

''तू अपने आप को समझती क्या है? सरपंची की मरोड़ में मत रहना।''

''तुम कल की बात का बुरा मान गये। जरा सोचो तो कार्यालय के लोग क्या कहते।''

''क्या कहते, कुछ नहीं- आखिर हम भी पहले सरपंच रह चुके हैं और मेरी बात सुन ले। ये सरपंची का काम औरतों का नहीं है.....कल से बाहर का सारा काम काज मैं देखूंगा तू घर संभाल। औरत की जगह चूल्हे चौके में और बच्चों को संभालने में है।''

नर्मदा ने हंसकर अपने गुस्से को पी लिया वो बोली ''घर तो मैं ही संभालती हूं.... क्या तुम संभालते हो?''

''फालतू बात नहीं..... पंचायत के सारे काम कल से मैं देखूंगा... बस।''

नर्मदा के सब्र का बांध टूट गया।

''देखो- बहुत हो गया- तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ कानून-कायदे सब जानती हूं जो नहीं जानती वो जान जाऊंगी। सरपंची के काम में दखल देने की जरूरत नहीं है। सरपंची हमारे बाप-दादा की विरासत नहीं हैं। हम जनता के सेवक हैं- जनता ने बड़े भरोसे के साथ हमें चुना है।''

तभी अचानक शंकरलाल आ गया।

''आओ भैया'' नर्मदा बोली ''बैठो..... ।''

''क्या बात है बड़ी तेज-तेज आवाज आ रही थी?'' शंकर ने पूछा।

नर्मदा बोली, ''कुछ नहीं भैया थोड़ी नोंक-झोंक तो चलती ही रहती हैं मैं तुम्हारे लिये चाय बनाकर लाती हूं।''

नर्मदा चाय बनाने चली गई। शंकरलाल ने बाहर से सब कुछ सुन लिया था। वो बोला-

''बदरी भैया---- क्यों अपनी मजाक उड़वाते हो। क्यों ऐसी ओछी हरकतें करते हो। तुम्हें क्या जरूरत थी कार्यालय जाने की?''

बदरीलाल बोला- ''क्यों ना जाऊं, वो आखिर हैं तो मेरी ही औरत।''

''बिलकुल है शंकरलाल ने कहा- ''कुर्सी का मोह तुमसे छूट नहीं रहा। वो अगर चाहे तो अब तुम्हें एक मिनिट में अंदर करवा सकती हैं किसी धोखे में मत रहना। वो सरपंच है, कलेक्टर भी उसकी बात मानते हैं।''

बदरीलाल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया बोला- अरे मैं अगर चाहूं तो''

''बस-बस तुम कुछ मत चाहो। अरे ऐसी पत्नी के पैर धोकर पीओ। पंचायत भी संभाल रही है और घर भी। ऐसा क्या कर दिया उसने जो आपे से बाहर हो रहे हो। सारा गांव ही नहीं आस-पास के गांव भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। अरे इससे तो तुम्हारा सर ही ऊंचा हो रहा है ना? तुम अपने घर से बहुत दूर चले गये हो अब वापस लौट आओ।''

बदरीलाल शांत हो गया। नर्मदा चाय लेकर आई। शंकरलाल चाय पीकर चला गया।

उस दिन के बाद बदरीलाल नर्मदा को ठीक से पहचानने लगा था। उसके व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो गया था। वो अपने बच्चों से भी बातें करने लगा था।

एक दिन बदरीलाल पहली बार नर्मदा के पास गया और बोला-

''आज याद नहीं दिलायेगी? आज अपनी शादी की वर्षगांठ है।''

नर्मदा ने कुछ नहीं कहा सिर्फ मुस्कुरा दिया।

बदरीलाल ने कपड़े में एक तोहफा नर्मदा की तरफ बढ़ा दिया। ''ये ले''।

नर्मदा ने तोहफे का कपड़ा हटाया।

इसमें एक किताब थी जिस पर लिखा था ''पंचायती राज-हमारा राज''।

बहुत दिनों के बाद बदरीलाल नर्मदा की आंखों में झांककर मुस्कराया।

पंचायत के बारे में नर्मदा यूं तो बहुत कुछ पहले से ही जानती थी। लेकिन जब से ''पंचायती राज-हमारा राज'' किताब उसे मिली तबसे वो किताब जैसे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी।

पंचायती राज की बारीकियों को भी नर्मदा ने पूरी तरह समझ लिया था। उसका सपना था कि उसकी पंचायत का हर सदस्य भी पंचायत की सब बारीकियों को जान ले।

एक दिन सेमली में ग्राम सभा आयोजित की गई। यह सही अवसर था जब नर्मदा का सपना सच होने की तरफ बढ़ रहा था।

सभा में आये ग्रामीणों ने जो भी सवाल नर्मदा से किये उसका सटीक उत्तर दिया गया।

2. पंचायती राज : 73 वां संशोधन

नर्मदा सन 1992 में संसद में भारत के संविधान में सुधारकर यह व्यवस्था की गई कि अब गांव की व्यवस्था गांव के लोग करें। इसे संविधान का **73वां संसोधन अधिनियम, 1992** कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत प्रदेशों में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम बनाये गये हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार के इन अधिनियमों के तहत पंचायत का काम-काज चलता है। इस अधिनियम के बाद हमारे देश में तीन तरह की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं।

- पहली संस्था संसद है। संसद में दो सदन है पहला सदन लोकसभा और दूसरा सदन राज्यसभा कहलाता है। लोकसभा में हम सांसद चुनकर भेजते हैं। संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है और एक मंत्रिमंडल बनाकर पूरे देश का शासन चलाती है। इसका संचालन दिल्ली से होता है।
- दूसरी संस्था प्रदेश स्तर की है। इसे विधानसभा कहते हैं, जिसमें हम विधायक चुनकर भेजते हैं। यह प्रदेश स्तर पर कानून बनाती है और एक मंत्रिपरिषद बनाकर प्रदेश की व्यवस्था और शासन चलाती है।

- तीसरी संस्था पंचायती राज कहलाती है। यह जिला स्तर पर व्यवस्था करती है। पंचायत का गठन तीन स्तर का होता है। जिला स्तर पर जिला पंचायत, विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। अब आप लोग बताइए कि पिछले पंचायत चुनाव में आप लोगो ने किस-किस पद के लिए वोट दिया था?

पंचायती राज व्यवस्था

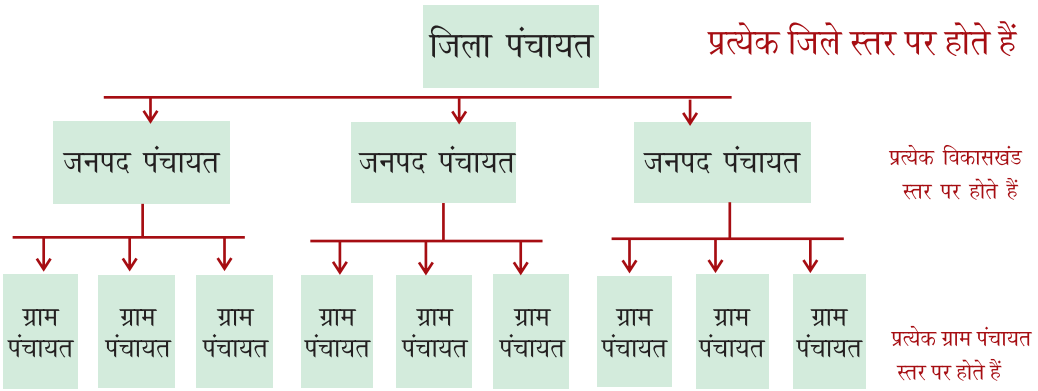

3. ग्राम सभा

सभा से एक ग्रामीण- पिछले चुनाव में हमने चार पद के लिए वोट दिया था। एक अपने टोले के पंच के लिए, दूसरा ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए, तीसरा जनपद पंचायत के सदस्य के लिए और चौथा जिला पंचायत के सदस्य के लिए।

नर्मदा - आपने बिलकुल सही बताया।

पंच और सरपंच को लेकर ग्राम पंचायत बनती है। जनपद पंचायत के गठन के लिए जनपद सदस्य चुने जाते हैं। जिला पंचायत के गठन के लिए जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं।

नर्मदा - पंचायत राज में एक और संस्था है जो ग्रामसभा कहलाती है। आप में से कोई बता सकता है कि ग्रामसभा का सदस्य कौन होता है।

रामदीन- ग्राम सभा के सदस्य पंच और सरपंच होते हैं।

इकबाल- नहीं, पंच और सरपंच तो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। ग्राम सभा का सदस्य

गांव की वह जनता होती है जिसकी आयु 18 या इससे अधिक हो।

नर्मदा - आपने बिलकुल सही कहा। ग्रामसभा गांव के मतदाताओं को मिलाकर बनती है और यह लोकसभा और विधानसभा की तरह केवल पांच साल के लिए नहीं होती। यह स्थाई संस्था है और इसके सदस्य भी केवल पांच साल के लिए नहीं होते। उनकी सदस्यता आजीवन होती है। ग्रामसभा गणतंत्र का सही नमूना है जहां केवल जनता की राय से काम होता है।

सुदीन - नर्मदा जी, इसका मतलब यह हुआ कि हम भी ग्रामसभा के सदस्य हैं।

नर्मदा - जी हां, गांव के सभी बालिग ग्रामसभा के सदस्य हैं। अब आप बताइए कि आप जिस सभा के सदस्य हैं, उसके नियम-कानून न जानेंगे तो उसमें भाग कैसे लेंगे?

सुदीन - मुझे तो आज पता चला कि मैं ग्रामसभा का सदस्य हूं और जीवन भर रहूंगा। इसलिए इसमें भागीदारी करने के लिए इसके नियम तो जानने ही होंगे। इसलिए आज ग्रामसभा के बारे में जरूरी बातें बताइए।

मैं इस इस सभा की अध्यक्ष और पंचायत की सरपंच नर्मदा जी से अनुरोध करूंगा कि वे ग्रामसभा के महत्व पर कुछ कहें।

नर्मदा - सभा में उपस्थित भाइयों, बहनो और बच्चों! आजादी के बाद 47 साल तक हमारे देश में लोकतंत्र केवल कहने को था। शासन मे जनता की कोई भागीदारी नहीं होती थी। उसका काम केवल वोट देना होता था। लेकिन पंचायत राज कानून बनने के बाद ग्रामसभा को कानूनी मान्यता मिलने से हर नागरिक को शासन और व्यवस्था मे पूरी तरह भागीदार बनाया गया है। इससे अब गांव का विकास ग्रामीणों की आवश्यकता और इच्छा के अनुसार ही नहीं उनके निर्णय से होगा। लेकिन हम लोग विकास तो चाहते हैं, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। अब गांव का विकास केवल सरपंच की जिम्मेदारी नहीं पूरे गांव की जिम्मेदारी है। साथियों, पहले सरपंच को गांव की राय से नहीं पंचों की राय से काम करना पड़ता था। लेकिन अब सरपंच को ग्रामसभा के निर्णय से काम करना पड़ता है। जब ग्रामसभा निर्णय नहीं लेगी तब या तो गांव का विकास का काम नहीं होगा या सरपंच फर्जी ग्रामसभा दिखाकर काम करेगा। यदि सरपंच ईमानदार हुआ तो अच्छा काम करेगा। लेकिन यदि ग्रामसभा जागरूक है तो किसी को भी घोटाला करने का अवसर नहीं मिलेगा।

ग्राम सभा एक कानूनी संस्था है इसलिए उसे कुछ नियम-कायदों में रहकर काम करना पड़ता है। हर ग्राम पंचायत में सचिव की जिम्मेदारी होती है कि वे यह प्रयास करें कि पंचायत और ग्रामसभा का हर काम नियम कानून से हो। अब मै सचिव महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे ग्रामसभा के गठन और उसके काम-काज के कानूनी तरीके सबको बताएं।

सचिव - एक ग्राम-पंचायत में जितने गांव होते हैं, उनकी अपनी-अपनी स्वतंत्र ग्रामसभा होती है। गांव के सभी स्त्री-पुरुष जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वे अपने गांव की ग्रामसभा के सदस्य हैं। उन्हें ग्रामसभा मे शामिल होने, प्रस्ताव पेश करने, किसी प्रस्ताव पर सुझाव देने, उसका समर्थन या विरोध करने का अधिकार है।

सुदीन - ग्रामसभा की बैठक कब बुलाई जाती है?

सचिव - ग्रामसभा का साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना गया है। इसे वित्तीय वर्ष यानी हिसाब-किताब का साल कहते हैं। ग्राम सभा की बैठक साल में चार बार हर तीन माह में होना जरूरी है। अधिनियम की धारा 7 (2) क अनुसार

ग्रामसभा की एक सालाना बैठक 31 मार्च से तीन माह पहले दिसंबर के महीने में होनी चाहिए। इसमें पंचायत का सालाना हिसाब-किताब, पिछले वित्तीय साल की प्रशासनिक रिपोर्ट, आडिट रिपोर्ट ग्रामपंचायत का सालाना बजट और अगले साल के काम की योजना पेश की जाती है। इसके अलावा अगर जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर ने ग्रामसभा मे विचार के लिए कोई विषय भेजा हो तो उस पर भी चर्चा की जाती है।

हबीब - अगर किसी ख़ास समस्या पर तुरंत चर्चाकर फैसला लेना जरूरी हो तो क्या हमें अगली बैठक का इंतजार करना पड़ेगा?

नर्मदा - यदि लोग चाहें तो ग्रामसभा की बैठक बुलाने के लिए पंचायत सचिव को आवेदन दे सकते हैं। आवेदन पाने के 7 दिन के भीतर बैठक बुलाना जरूरी है। लेकिन आवेदन पर ग्रामसभा के 10 प्रतिशत सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है।

एक ग्रामीण ग्रामसभा की बैठक कैसे बुलाई और चलाई जाती है?

नर्मदा - बैठक की सूचना बैठक की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले सरपंच द्वारा दी जाती है। यह सूचना हर सदस्य को मिल जाए इसके लिए गांव मे डुग्गी पिटवाकर तथा पंचायत के कार्यालय और गांव की खास जगहों पर सूचना चिपका कर दी जा सकती है। हर पंच अपने-अपने वार्ड के सदस्यों को सूचना देगा। बैठक नियम के अनुसार चले इसके लिए जिले का कलेक्टर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करता है। यह अधिकारी बैठक को नियमानुसार चलाने में सहायता करता है। ग्राम पंचायत का सरपंच ग्रामसभा का अध्यक्ष होता है। वह ग्रामसभा की बैठक की अध्यक्षता भी करता है। सरपंच के न रहने पर उपसरपंच और दोनो के न रहने पर पंचो की सहमति से कोई एक पंच अध्यक्षता करता है।

सुखिया बाई- बैठक में किस बात पर चर्चा की जाती है?

नर्मदा - आप लोग बताइए कि ग्रामसभा में किन बातों पर चर्चा करनी चाहिए?

इकबाल- ग्रामसभा में गांव की समस्या और विकास जैसे खेती-किसानी, पशुपालन, सिंचाई और पीने के पानी, बच्चों की पढ़ाई, चारागाह, राशन कार्ड आदि पर चर्चा होनी चाहिए।

एक छात्र- क्या ग्राम सभा में बच्चों और युवाओ को खेलने के मैदान की भी चर्चा हो सकती है?

नर्मदा- ग्राम सभा गांव की ऐसी ही जरूरतों और समस्याओं पर चर्चा कर उसका समाधान ढूंढ़ने का काम करती है। खेती का विकास, भूमि सुधार, सिंचाई के साधन, पशु पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, वन से संबधित उद्योग, लघु वन उपज, छोटे उद्योग, आवास, पीने का पानी, पशुओं के चारे की व्यवस्था, शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, राशन का वितरण, खेल-कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुस्तकालय जैसे 29 विषय संविधान में भी बताए गए हैं। पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम में ग्रामसभा की जिम्मेदारी में लगभग साठ विषय बताए गए हैं। आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि गांव का ठीक से विकास हो इसके लिए हर जरूरी विषय पर चर्चा की जा सकती है।

सुदीन ग्रामसभा की बैठक में किस विषय पर चर्चा की जाय यह कौन तय करता है?

नर्मदा बैठक का विषय सरपंच की सलाह से तय करते हैं। ग्रामसभा का कोई भी मतदाता किसी विषय पर चर्चा करने के लिए निवेदन कर सकता है। बैठक के समय अध्यक्ष की अनुमति से कोई भी विषय जोड़ा जा सकता है।

हबीब किसी विषय पर निर्णय कैसे लिया जाता है?

नर्मदा ग्रामसभा में कोई भी निर्णय सब की सहमति से लेने का नियम है। अगर किसी बात पर मतभेद हो तो आम सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए। आम सहमति न बनने पर मामला अगली बैठक के लिए तय कर लेना चाहिए। यदि दो बैठकों में आम सहमति न बने तो तीसरी बैठक बुलानी चाहिए और उसमें गुप्त मतदान से बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। यदि मतदान में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आएं तब अध्यक्ष के मत से निर्णय होता है।

अनीसा बेगम पड़ोस के गांव की ग्रामसभा ने अपने गांव के तालाब में मछली पालकर मवेशियों को पानी पीने से रोकने का फ़ैसला किया है। हमारे मवेशी उस गांव मे हमेशा से पानी पीते आए हैं। इससे तो दोनों गांवों मे झगड़ा बढ़ेगा।

सचिव - जब किसी ग्रामसभा के फेसले का असर दूसरे गांव पर पड़ता है और वह गांव उस फ़ैसले से सहमत नहीं है तब ग्राम पंचायत की संयुक्त ग्रामसभा बुलाई जाएगी। उसमें जो निर्णय होगा वह सबको मानना होगा।

एक ग्रामीण ग्रामसभा के फ़ैसलों और प्रस्तावों को कौन लिखता है?

नर्मदा - ग्राम पंचायत का सचिव ग्रामसभा की बैठक की पूरी कार्यवाही रजिस्टर में लिखता है। पूरी कार्यवाही सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाता है उसके बाद उपस्थित सदस्यों के नाम लिखकर उनका दस्तख़त या अंगूठे का निशान लेता है। ग्रामसभा के फ़ैसले और प्रस्ताव की प्रति ग्रामपंचायत को देता है। ग्रामपंचायत सभी ग्रामसभाओं के प्रस्तावों के आधार पर योजना बनाकर जनपद पंचायत को भेजती है और जनपद पंचायत उसे जिला पंचायत को भेजती है।

रामदीन- ग्रामसभा गांव की कौन-कौन सी जिम्मेदारियां निभाती है?

नर्मदा - गांव के हर तरह के विकास की जिम्मेदारी ग्रामसभा की होती है। इसलिए उसको ग्राम के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाने उनका अनुमोदन करने, विकास के लिए मंजूर किए गए काम ठीक से हो सकें उसकी निगरानी रखने का अधिकार है। ग्रामसभा गांव के विकास के लिए उसकी जरूरतों और आमदनी का ब्यौरा ग्राम पंचायत को भेजती है। उसके आधार पर ग्राम पंचायत उसे आगामी बजट में शामिल करती है। ग्रामसभा की यह भी जिम्मेदारी है कि वह देखे की सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों, खास कर गरीबों को ठीक से मिल रहा है कि नहीं। ग्रामसभा गांव का जंगल, जमीन, पानी, खदान और जैविक संपदा की देखभाल और उसका दुरुपयोग

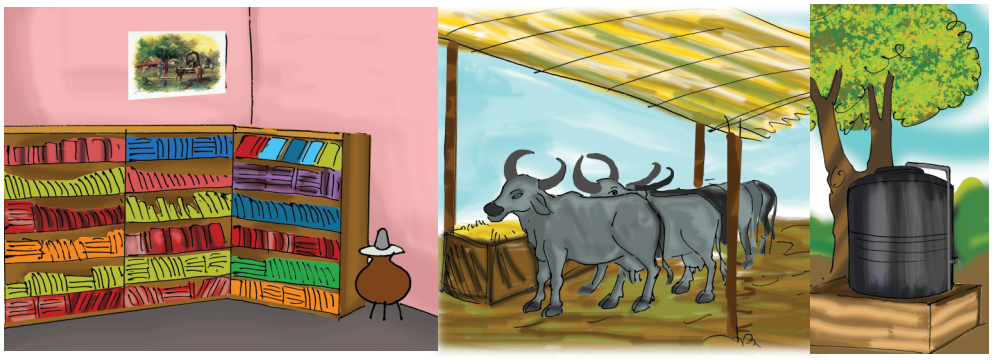

रोकने का काम करती है। गांव में सरकारी और गैर सरकारी कामों पर नजर रखती है। इसके अलावा जनपद पंचायत और जिला पंचायत और सरकार द्वारा सौंपे गए काम, गांव में सफाई रखना, सड़कों और गलियों में प्रकाश का इंतजाम करना, कांजी हाउस की व्यवस्था करना, जन्म, मृत्यु और विवाह का ब्योरा रखना भी ग्राम सभा का काम है।

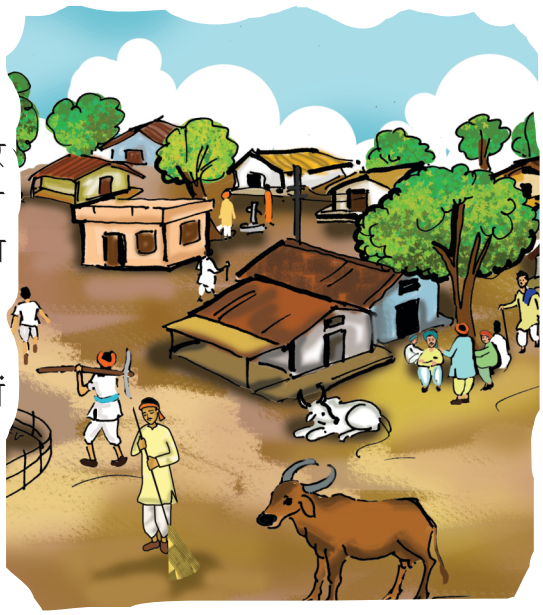

ग्रामसभा की जिम्मेदारी है कि वह दहेज, छुआछूत, बालविवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं को रोके और गांव में जन चेतना पैदा करे। गांव में युवा कल्याण, परिवार कल्याण तथा खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढावा देना भी ग्रामसभा की जिम्मेदारी है।

ग्रामसभा को अपने क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के काम की निगरानी करना, उनकी छुट्टी मंजूर करना आदि का भी अधिकार हैं। यदि कोई कर्मचारी काम में लापरवाही दिखाता है तो उसे दंड देने के लिए ग्रामसभा सिफारिश कर सकती है।

रामनाथ- ग्राम सभा के क्षेत्र में कौन से सरकारी कर्मचारी आते हैं?

नर्मदा- ग्राम सभा के क्षेत्र में कोटवार, पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक आते हैं। इन सभी कर्मचारियों पर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा।

4. समितियां

रमजान- ग्रामसभा अपने काम को अमल में कैसे लाती है?

नर्मदा - ग्रामसभा, गांव के सारे काम दो समितियों की सहायता से करती है। इसमें एक समिति का नाम **"ग्राम निर्माण समिति"** और दूसरे का नाम **"ग्राम विकास समिति"** है। ग्राम विकास समिति गांव के विकास के सभी कामों के लिए योजना और बजट बनाती है। ग्राम निर्माण समिति ग्राम सभा द्वारा तय किए गए सभी निर्माण का काम कराती है और काम की प्रगति ग्राम सभा को बताती है। सभी निर्माण कार्यों का मूल्यांकन कलेक्टर या जिला पंचायत की एजेंसी से कराए जाते हैं। यह समिति ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर पांच लाख रुपए तक का निर्माण कार्य करा सकेगी। ये समितियां स्थाई होती हैं। इनके गठन के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच ग्राम सभा का पहला सम्मेलन बुलाएंगे। ग्राम सभा के सदस्य अपने बीच से सबकी सहमति या बहुमत से समितियों के एक-एक अध्यक्ष चुनेंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल ढाई साल का होगा। ग्राम पंचायत का सरपंच किसी भी समिति में अध्यक्ष नहीं होगा। हर समिति में अध्यक्ष को मिलाकर अधिक से अधिक छः सदस्य होंगे।

रमजान- ग्राम विकास समिति क्या-क्या काम करती है?

नर्मदा - विकास से जुड़े सभी कार्यों की रूपरेखा ग्राम विकास समिति द्वारा तैयार की जाती है जैसेः कौन सा कार्य किया जाना है, कार्य पर कितना खर्चा आयेगा और धन की व्यवस्था कहां से होगी आदि। यानि वित्तीय प्रबंधन के कार्य भी ग्राम विकास समिति द्वारा किये जाते हैं। विकास कार्यों में जनविकास और ग्राम विकास से जुड़े सभी मुद्दे शामिल हैं जैसे : सार्वजनिक निर्माण, पर्यावरण से जुड़े कार्य, भूमि सुधार, पशुपालन, सहकारिता, योजना निर्माण, स्कूल शिक्षा, अतिक्रमण हटाना आदि। इनके साथ-साथ बाढ़, सूखा, भूकंप में सहायता प्रदान करना, छूआछूत मिटाना, दहेज के खिलाफ लोगों को तैयार करना आदि।

रमजान- ग्राम विकास समिति के क्या कार्य होते है?

नर्मदा - ग्राम निर्माण समिति एक प्रकार की एजेन्सी है जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन करती है जैसेः स्कूल, बांध, सड़क, भवन आदि।

ग्राम निर्माण समिति केवल 5 लाख रूपये तक के निर्माण कार्य करने तक ही सीमित है।

5. ग्रामकोष एवं ग्राम पंचायत

ग्रामकोष

फूला बाई- ग्रामसभा के विकास के लिए आमदनी कहां से आती है?

नर्मदा - हर ग्राम सभा का एक ग्रामकोष होगा। ग्राम कोष के चार भाग होंगे

- पहला वस्तुकोष जिसमे पत्थर, मिट्टी, मुरम, लकड़ी, सीमेंट, किताब आदि जमा किया जाता है।
- दूसरा अन्नकोष होगा, जिसमे अनाज इकट्ठे कर रखे जाएंगे।
- तीसरा श्रमकोष होगा जिसमें श्रमदान के समय को जमा किया जाएगा।
- चौथा नगदकोष होगा जिसमे ग्राम के स्रोतों से मिली आय या पंचायत निधि से मिले अनुदान जमा होंगे। केंद्र या राज्य सरकार गांव के विकास की योजनाओं के लिए ग्राम पंचायत को धन देती है। कुछ राशि कल्याण की योजना में विधवा, वृद्ध आदि हितग्राहियों के लिए आती है। यह धन नियम के अनुसार ग्राम सभा के ग्रामकोष में जमा करा दिया जाता है।

ग्राम पंचायत

ननकी बाई-जब गांव की सारी जिम्मेदारी ग्राम सभा की है तो ग्राम पंचायत की क्या जरूरत है?

नर्मदा - ग्राम सभा का काम पूरे गांव की राय से गांव के विकास के लिए फैसला करना है। उन फैसलों को अमल मे लाने के लिए एक जिम्मेदार संस्था के रूप में ग्राम पंचायत का गठन होता है।

एक ग्रामीण ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है?

नर्मदा - ग्राम पंचायत के लिए कम से कम एक हजार की आबादी होनी चाहिए। अगर एक गांव की आबादी एक हजार से कम है तो एक से अधिक गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत गठित की जाती है। पंचायत को कम से कम 10 वार्डों में बांटा जाता है। पंचायत की आबादी अधिक होने पर वार्डों की संख्या अधिक भी हो सकती है।

रामबाई- ग्राम सभा के क्षेत्र में कौन से सरकारी कर्मचारी आते हैं?

नर्मदा - लेकिन एक ग्राम पंचायत में 20 से अधिक वार्ड नहीं होंगे। वार्डों का बंटवारा करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि हर वार्ड की आबादी लगभग बराबर हो। ग्राम पंचायत के लिए हर वार्ड से एक पंच और पूरी पंचायत के लिए एक सरपंच का चुनाव किया जाता है। किसी वार्ड के मतदाता अपने वार्ड के पंच के लिए ही मत देंगे। सरपंच का चुनाव पूरी ग्राम पंचायत के मतदाता करते हैं।

सुदीन - उप सरपंच के लिए तो वोट नहीं पड़ा था। इनका चुनाव कैसे होता है?

नर्मदा - ग्राम पंचायत के चुने गए सरपंच और हर वार्ड के चुने गए पंच अपने में से किसी एक को उपसरपंच चुनते हैं।

6. ग्राम पंचायत में पद का आरक्षण

रतनू - इस बार पंचायत से सरपंच पद के लिये कोई पुरुष क्यों चुनाव नहीं लड़ा?

सचिव- इस बार इस पंचायत का सरपंच का पद महिला के लिए आरक्षित था। इसी तरह पंचायत के 16 वार्ड में से 8 वार्ड के पंच के पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित थे। जो पद महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं उस पर पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकते। वैसे भी नर्मदा जी को निर्विरोध सरपंच चुन लिया गया है।

सुखदेव - ग्राम पंचायत के पद का आरक्षण क्यों होता है?

नर्मदा - शासन चलाने में कमजोर और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग खास कर महिलाएं शामिल हो सकें इसलिए इनके लिए आरक्षण दिया जाता है। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और उनकी क्षमता का विकास होता है।

इकबाल- आरक्षण का नियम क्या है?

सचिव - आरक्षण जाति के अनुसार केवल अनुसूचित जाति, जन जाति और पिछड़ी जातियों के लिए आबादी के अनुसार होता है। शेष जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं होता। ग्राम पंचायत की आबादी में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति का जो अनुपात होगा उसमें उसी अनुपात में पंच के पद

आरक्षित होंगे। अगर किसी पंचायत की कुल आबादी में आधी आबादी अनुसूचित जाति, जन जाति की है और उसमें कुल 20 वार्ड हैं तो उस पंचायत के 10 वार्ड इन्हीं के लिए आरक्षित होंगे।

इकबाल- महिलाओं को कितना आरक्षण मिलता है?

सचिव - महिलाओं को आरक्षण और बिना आरक्षण के सभी पदों में आधा पद आरक्षित होता है। इसलिए इस पंचायत मे अनुसूचित जाति, जन जाति के 10 पदों मे 5 पद इन्हीं जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। शेष 10 वार्डों में भी 5 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। पिछड़ी जाति को उसी पंचायत में आरक्षण मिलता है जिसमें अनुसूचित जाति, जन जाति की आबादी कुल आबादी की आधी या उससे कम होती है।

इकबाल - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिये क्या नियम है?

सचिव - अगर एक पंचायत मे अनुसूचित जाति और जन जाति की आबादी कुल आबादी के आधे से कम है तो उसमें एक चौथाई पद पिछड़ी जाति के लिए भी आरक्षित होगा। सामान्य पद पर किसी भी जाति के स्त्री पुरुष चुनाव लड़ सकते हैं। सामान्य महिलाओ के लिए आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति, जन जाति की महिलाएं भी चुनाव लड़ सकती हैं।

सुषमा - सरपंच के पद का आरक्षण कैसे तय होता है?

नर्मदा - सरपंच के पद का आरक्षण जनपद पंचायत की आबादी के अनुसार होता है। जनपद पंचायत की कुल आबादी में अनुसूचित जाति, जन जाति और पिछड़ी जाति का जो अनुपात होगा उसी अनुपात में पंचायत के सरपंच के पद आरक्षित होंगे। लेकिन जिस जनपद में अनुसूचित जाति, जन जाति की आबादी कुल आबादी के आधे से अधिक होगी उसमें पिछड़ी जाति के सरपंच का पद आरक्षित नहीं होगा। यदि अनुसूचित जाति, जन जाति की आबादी कुल आबादी के आधे से कम है तो कुल ग्राम पंचायतों के सरपंचो के एक चौथाई सरपंच पिछड़ी जाति के होंगे। हर वर्ग के कुल सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या आधी होगी।

हबीब - पंच या सरपंच कौन बन सकता है?

नर्मदा - पंच या सरपंच बनने के लिए ग्राम पंचायत मे ग्रामसभा का सदस्य होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दिवालिया हो, उसके ऊपर पंचायत की राशि बकाया हो, उसने पंचायत या सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा किया हो, मानसिक रूप से बीमार हो, मंद बुद्धि का हो, कुष्ठ का रोगी हो, नशे से संबंधित किसी अपराध में दंडित किया गया हो, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की किसी धारा में दोषी पाया गया हो, तो पंच या सरपंच के पद पर चुनाव नहीं लड़ सकता। किसी अपराध में कम से कम 6 माह की सजा काट चुका हो और सजा काटने के बाद यदि पांच साल न बीता हो तो भी वह चुनाव नहीं लड़ सकता।

हबीब - क्या पंचायत में कार्यरत कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है?

नर्मदा - अगर वह पंचायत में कोई नौकरी कर रहा हो, पंचायत के वकील के रूप में वेतन ले रहा हो, सरकार के अधीन किसी कंपनी की नौकरी से निकाला गया हो या विधान सभा का चुनाव लड़ने में अयोग्य घोषित किया गया हो तो भी वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। यदि उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो तो भी वह पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता।

इकबाल- ग्राम पंचायत कौन-कौन से काम कर सकती है?

नर्मदा - ग्राम पंचायत का मुख्य काम अपने क्षेत्र की जनता की आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना, ग्राम पंचायत की सम्पत्ति की रक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनो की देखभाल और नियंत्रण करना है। इसके लिए वह पंचायत के क्षेत्र में खतरनाक वस्तुओं के व्यापार को नियंत्रित कर सकती है। पंचायत के विकास के लिए किसी भी भवन या पेड़ को हटा सकती है। उसे सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाने का अधिकार है।

इकबाल- क्या विकास कार्यों के लिए संविधान में भी कोई सूची बनाई गई है?

नर्मदा - विकास के लिए संविधान में कुल 29 कार्यों की सूची बताई गई है। जिसके बारे में ग्राम सभा के काम बताते हुए आप को बताया गया था। इन सारे कामों की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है।

7. ग्राम पंचायत की समितियां

ननकी बाई- पंचायत इतने सारे काम अमल में कैसे लाती है?

नर्मदा - ग्राम पंचायत के सारे काम पंच और सरपंच मिलकर आपसी सहयोग से करते हैं। इसके लिए तीन स्थाई समितियां गठित की जाती हैं। पहली समिति का नाम सामान्य प्रशासन समिति है। यह पंचायत की व्यवस्था का सारा काम देखती है।

ननकीबाई-दूसरी समिति का क्या नाम है वो कैसे काम करती है?

नर्मदा - दूसरी समिति का नाम निर्माण और विकास समिति है। यह समिति विकास की योजना बनाती है और सारे निर्माण कार्य कराती है। तीसरी समिति का नाम शिक्षा स्वास्थ्य तथा कल्याण समिति है। यह गांव की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबधी काम देखती है।

सुमंती बाई- इन समितियों का गठन कैसे होता है?

नर्मदा - इनके गठन के लिए पंचायत का विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है। पंच लोग अपने ही बीच से इसके सदस्यों का चुनाव करते हैं। हर समिति में चार सदस्य होते हैं। कोई भी पंच एक बार में दो से अधिक समितियों का सदस्य नहीं बन सकता। इन समितियों का कामकाज ठीक से चले इसके लिए हर समिति अपने लिए दो ऐसे व्यक्तियों को सदस्य बना सकती है जिनका अनुभव समिति के काम आ सके। लेकिन इन सदस्यों को किसी निर्णय में मत देने का अधिकार नहीं रहता। उप सरपंच हर समिति का पदेन सदस्य होता है। सरपंच तीनों समितियों का अध्यक्ष होता है। पंचायत कर्मी या पंचायत सचिव तीनों समितियों का सचिव होता है।

रामनाथ- इन समितियों की बैठक कब और कैसे होती है?

नर्मदा - बैठक की तारीख समिति का अध्यक्ष तय करता है। बैठक माह मे कम से कम एक बार जरूर होनी चाहिए। बैठक की सूचना सदस्यों को बैठक से तीन दिन पहले दी जानी चाहिए। बैठक में कम से कम आधे सदस्य की उपस्थिति से कोरम पूरा होता है। ग्राम पंचायत चाहे तो जरूरत पड़ने पर सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों को बैठक में बुला सकती है। बैठक में बहुमत से निर्णय लिया जाता है।

रमजान- समिति के फैसले पर अमल कैसे होता है?

नर्मदा- सभी समिति के फैसले सामान्य प्रशासन समिति ग्राम पंचायत की अगली बैठक में पेश करती है। पंचायत उसे बहुमत से स्वीकार कर सकती है या फिर से विचार करने के लिए समिति को वापस भेज सकती है। ग्राम पंचायत में समिति का निर्णय मंजूर होने पर योजना बनाकर काम शुरू किया जाता है। काम की देख-रेख की जिम्मेदारी समिति की होती है। यदि काम सही ढंग से न हो रहा हो तो समिति की शिकायत पर पंचायत उचित कार्यवाही करती है।

लखनी- पंचायत का सचिव क्या काम करता है?

नर्मदा - सचिव, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और सभी समितियों के हर काम जैसे बैठकों की सूचना देना, उसकी कार्यवाही लिखना, हिसाब किताब रखने का हर काम करता है। वह जनपद और जिला पंचायत के साथ तालमेल रखता है और उनकी बैठकों में बुलाने पर शामिल होता है। पंचायत कार्यालय को समय से खोलना और सारे दस्तावेज ठीक करना सचिव का ही काम है। सचिव को पंचायत के हर नियम की जानकारी होना जरूरी है।

8. ग्राम पंचायत की आय के स्त्रोत

रामदीन- ग्राम पंचायत की आमदनी कहां से आती है?

नर्मदा- पंचायत की आमदनी के दो स्रोत हैं। पहला स्रोत पंचायत के भीतर मेलों, बाजारों तथा मवेशियों की खरीदी और बिक्री पर कर लगाकर हो सकती है। वह दान या चंदा ले सकती है। पंचायत की संपत्ति जैसे भवन, बरतन, दरी आदि पर किराये पर देकर और मुरम, रेत, मिट्टी आदि पर नीलामी से या कर लगाकर आमदनी बढ़ा सकती है। पंचायत की आमदनी का दूसरा स्रोत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जनपद और जिला पंचायत से विभिन्न योजनाओं में मिलने वाला अनुदान और सांसद तथा विधायक निधि से मिलने वाला धन है। कुछ गैर सरकारी संस्थाएं भी पंचायत को मदद करती हैं।

सुदीन- ग्राम पंचायत की आमदनी का हिसाब-किताब कैसे रखा जाता है?

नर्मदा- पंचायत को जो भी धन मिलता है वह उसकी निधि में जमा होता है। पंचायत निधि का पैसा पास के सरकारी ख़जाने या किसी डाकघर या बैंक में जमा होता है। किसी काम के लिए पंचायत के प्रस्ताव से पैसा निकाला जाता है। पैसा सरपंच और सचिव दोनों के हस्ताक्षर से निकलता है। जिस काम के लिए पैसा निकलता है, उस काम से संबधित पंचायत की स्थाई समिति उसके खर्च की देख-रेख करती है और खर्च का पूरा ब्योरा ग्रामसभा को देती है।

अरुण- ग्राम पंचायत को कैसे पता चलता है कि उसे कितना पैसा सरकार से मिलने वाला है और उसे किस मद में खर्च करना है?

नर्मदा- इसकी जानकारी जनपद और जिला पंचायत ग्राम पंचायत को देती है। उसके आधार पर ग्राम पंचायत काम की योजना और अनुमानित खर्च का बजट बनाती है। बजट बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि जो पैसा जिस योजना के लिए आया है, उसे उसी योजना में खर्च किया जाना है। यदि एक काम का पैसा किसी दूसरे काम में खर्च करना हो तो उसकी अनुमति संबधित अधिकारी से लेनी होती है।

इकबाल- ग्राम पंचायत पैसे का खर्च सही तरीके से कर रही है, इसकी जांच कैसे होती है?

सचिव - इसके लिए आडिट की जाती है। आडिट दो तरह की होती है। एक सामान्य आडिट हर साल अप्रैल और 31 मार्च के बीच में होती है। इसके लिए सरकार आडिटर नियुक्त करती है। दूसरी विशेष आडिट होती है जो सरकार द्वारा विशेष अवसर पर कराई जा सकती है। आडिट के समय आमदनी और ख़र्च के सारे कागजात जैसे कैश बुक, बाउचर बिल, भुगतान की रसीद, प्राप्ति रसीद, बैंक का पास बुक, चेक बुक तथा संबंधित अन्य दस्तावेज आडिटर को दिखाने होते हैं।

नर्मदा - आज बहुत सी जानकारी दी गयी हैं। इतना ही नहीं हम सब को मिलकर गांव के विकास पर काम करना चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए कि इस गांव मे कोई भूखा या बीमार न रहे। कोई बच्चा कुपोषित न रहे। कोई बच्चा स्कूल से बाहर न रहे और गांव मे कोई अनपढ़ न रहे। अब मैं आज की सभा के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के जनपद सदस्य आदरणीय मन्नू बैगा से अनुरोध करूंगी कि वे जनपद और जिला पंचायत के गठन के बारे मे संक्षेप में कुछ बताएं।

9. जनपद और जिला पंचायत का गठन

मन्नू बैगा- पहले तो हम आप सबको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुनकर जनपद सदस्य बनाया। जनपद पंचायत का गठन विकास खंड स्तर पर होता है। जनपद सदस्यों की संख्या विकास खंड की जनसंख्या के अनुसार तय की जाती है।

गिरजा - वार्डों का बंटवारा कैसे किया जात है?

मन्नू बैगा- जिस विकास खंड की जनसंख्या संख्या 50 हजार या उससे कम है उसे कम-से कम दस वार्ड में बांटा जाता है। लगभग 5 हजार की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता है। लेकिन एक विकास खंड को अधिक से अधिक 25 वार्ड में बांटा जाता है। हमारे विकास खंड का नाम अंचलपुर है जिसे 15 वार्डों में

बांटा गया है। मुझे वार्ड नंबर 4 से चुना गया है। एक जनपद पंचायत के सभी सदस्यो को मिलाकर जनपद पंचायत का गठन होता है। जैसे पंचायत का मुखिया सरपंच होता है वैसे जनपद पंचायत का मुखिया जनपद अध्यक्ष होता है।

गिरजा - जनपद अध्यक्ष के पद के लिए तो हमने वोट नहीं दिया था। तो उसे किसने चुना है?

मन्नू बैगा- जनपद के सभी सदस्य अपने में से किसी एक को जनपद का अध्यक्ष चुनते हैं। इसी तरह जिला पंचायत का भी गठन होता है। जिला पंचायत सदस्यों की संख्या जिले की जनसंख्या के अनुसार तय की जाती है। जिस जिले की जनसंख्या संख्या 5 लाख या उससे कम है उसे कम-से कम दस वार्डों में बांटा जाता है। लगभग 50 हजार की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता है। लेकिन एक जिले को अधिक से अधिक 35 वार्डों में बांटा जाता है। हमारे जिले को 28 वार्डों में बांटा गया है।

गिरजा - जिला पंचायत का गठन कैसे होता है?

मन्नू बैगा- जैसे एक जनपद पंचायत के सभी सदस्यो को मिलाकर जनपद पंचायत का गठन होता है वैसे ही जिला पंचायत के सभी सदस्यो को मिलाकर जिला पंचायत का गठन होता है। लेकिन जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्यों के साथ-साथ जिले के सभी सांसद, सभी विधायक और सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष भी सदस्य होते हैं। जिला पंचायत के सदस्य जिले के सभी वार्डों से चुने हुए सदस्यों में से किसी एक जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनते हैं।

रमनू - जिला पंचायत और जनपद पंचायत मे आरक्षण का क्या नियम है।

मन्नू बैगा- जिला और जनपद पंचायत मे भी ग्राम पंचायत की तरह अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति की आबादी के अनुपात मे आरक्षण का नियम लागू है। और हर वर्ग में आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

नर्मदा - आदिवासी क्षेत्रों में लोग अनेक फैसले छोटे-छोटे टोले की बैठक मे पुराने रीति रिवाज से कर लेते थे। पंचायत के कानून मे पूरे गांव की बैठक का नियम है। इससे ग्राम सभा की बैठक में परेशानी होती है।

सचिव - आदिवासी क्षेत्रें में आदिवासी अपने रीति रिवाज के अनुसार काम कर सकें इसके लिए पंचायत विस्तार अधिनियम बनाया गया है। जहां आदिवासी बहुल आबादी है वहां यह अधिनियम काम करता है। इसके लिए सरकार ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों को अनुसूचित किया है।

सुखिया- पंचायत विस्तार अधिनियम से आदिवासियों को क्या सुविधा मिलती है?

नर्मदा - इस अधिनियम मे छोटे टोले को भी ग्राम सभा का दर्जा दिया गया है और उनकी परंपरा तथा रीतिरिवाज के अनुसार फ़ैसले लेने का अधिकार दिया गया हैं।

सुखिया- अध्यक्ष महोदया, हमलोग पंचायत विस्तार अधिनियम के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। आज बहुत समय हो गया है। मेरा सुझाव है कि किसी दिन बैठक बुला कर इसके बारे में भी सबको बताया जाय।

नर्मदा - नियम कानून समझने मे समय लगता है। एक दिन में सब बताने से बहुत कुछ याद नहीं रहेगा। इस लिए अगली ग्राम सभा में ग्राम विस्तार अधिनियम के बारे में चर्चा करना ठीक रहेगा। आप लोगों ने ध्यान देकर पंचायत राज के बारे में समझा। अब यह सभा समाप्त की जाती है। सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।

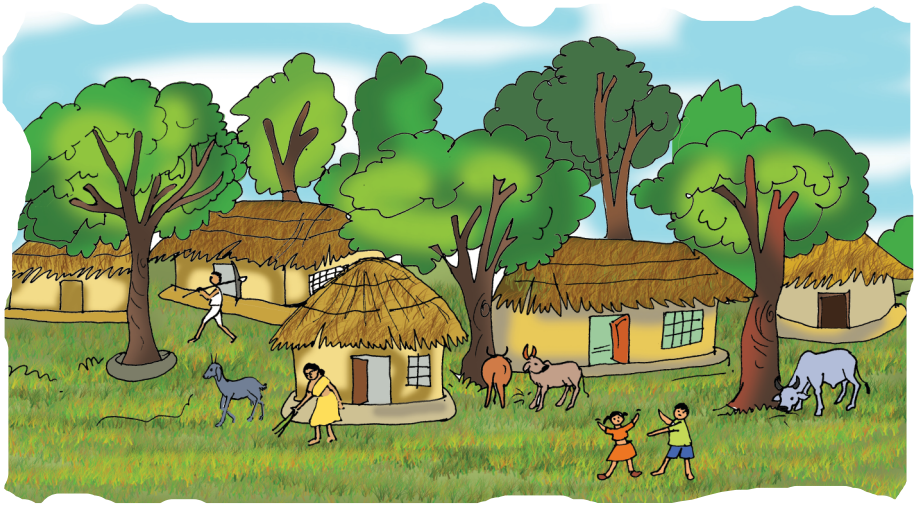

10. पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 या ''पेसा अधिनियम 1996''

अंग्रेजों ने भारत के मैदानी इलाकों पर बहुत सालों तक राज किया। जंगल इलाकों में पहुंच व आवागवन के कोई साधन नहीं होने के कारण आदिवासियों पर राज नहीं कर पाये। इन जंगली इलाकों में आदिवासी अपने ढंग से अपना कानून चलाते रहे। अंग्रेजों ने इन्हें ''अपवर्जित क्षेत्र'' घोषित किया था।

अंग्रेजों के जमाने में ही इन क्षेत्रों के लिए संविधान में पांचवीं और छठवीं अनुसूचियां बनाई गयीं थी। इनमें छइी अनुसूची में उत्तर-पूर्व भारत के आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। उत्तर-पूर्व के अलावा शेष भारत के लिए अपवर्जित क्षेत्र के बजाय ''अनुसूचित क्षेत्र'' की संज्ञा दी गई थी।

सुखिया - आजाद भारत में अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करता है?

नर्मदा - अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं। देश के नौ राज्यों में आदिवासी इलाकों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। ये हैं आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश।

सुखिया - कौन सी अनुसूची आदिवासी हितों की रक्षा करती है?

नर्मदा - पांचवीं अनुसूची आदिवासी हितों का कवच है उसमें ''शान्ति और सुशासन''को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के राज्यपाल को विशेष अधिकार दिये गये हैं।

सुखिया - पेसा कानून क्या है?

नर्मदा - आदिवासी इलाकों पर देश के सामान्य क़ानूनों के लागू हो जाने से आदिवासियों के समाज और उनकी परम्परा संरक्षण के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। संविधान में भी इसका सुधार नहीं हुआ था।

इन परिस्थितियों में अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए एक कानून की आवश्यकता पड़ी। अनुसूचित क्षेत्र के लिए ''पेसा'' एक सरल किन्तु व्यापक कानून है जो कि अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों को अपने क्षेत्र के संसाधन व गतिविधियों पर ज्यादा नियंत्रण देने की शक्ति देता है।

सुखिया - अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन के बुनियादी सिद्धान्त क्या हैं?

नर्मदा - आदिवासियों के जीवन में परम्परागत कानून, सामाजिक व धार्मिक प्रथाएं तथा सामुदायिक संसाधनों की परम्परागत प्रबंधन केन्द्रीय भूमिका निभाती हैं।

सुखिया - आदिवासियों के हितों में ग्राम सभा क्या भूमिका निभाती है?

नर्मदा - ग्रामसभा लोगों की परम्पराओं तथा रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान सामुदायिक संसाधनों तथा विवाद निपटाने के परम्परागत तरीकों को सुरक्षित करने में सक्षम है।

सुखिया - ग्राम सभा की बैठक कब होती है?

नर्मदा - ग्राम सभा की बैठक कम से कम तीन माह में एक बार यानी वर्ष में चार बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित होंगी। निर्धारित तिथियां इस प्रकार हैं -

दिनांक - 23 जनवरी से प्रारंभ सप्ताह।

दिनांक - 14 अप्रैल से प्रारंभ सप्ताह।

दिनांक - 20 अगस्त से प्रारंभ सप्ताह।

दिनांक - 2 अक्टूबर से प्रारंभ सप्ताह।

साथ ही जरूरत पड़ने पर यदि ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से ज्यादा सदस्य लिखित व हस्ताक्षर युक्त आवेदन जनपद पंचायत या कलेक्टर को देते हैं तो आवेदन के 30 दिनों में ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है।

सुखिया - ग्राम सभा की बैठक की सूचना ग्रामीणों को कितने दिन पहले दी जाती है?

नर्मदा - ग्राम सभा की बैठक की सूचना, बैठक की तारीख़ से कम से कम 7 दिन पहले दी जाती है।

सुखिया - ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?

नर्मदा - कोई भी चुने हुए जन प्रतिनिधि सरपंच, उप-सरपंच, पंच, अनुसूचित क्षेत्रों में बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते। ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता के लिए उपस्थित सदस्यों में से किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का चयन कर बैठक की अध्यक्षता कराई जायेगी।

सुखिया - ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य क्या हैं?

नर्मदा - ग्रामसभा की शक्तियों और कार्य निम्नलिखित हैं-

- गांव के विकास के लिए कौन-कौन सी योजनाएं लागू करनी हैं, यह तय करना और इनमें से कौन सी योजना पहले लागू करनी है इसके लिए प्राथमिकता सुनिश्चित करना।
- ग्राम पंचायत द्वारा योजनाएं लागू करने से पहले उन्हें मंजूरी देना।
- यह देखना और प्रमाणित करना कि जिन योजनाओं को मंजूरी दी गई है उन पर ठीक ढंग से कार्य हो रहा है या नहीं।
- ग्राम पंचायत के सालाना बजट पर विचार करना और उसकी अनुशंसा करना।
- ग्राम पंचायत के सालाना खाते और उस खाते के आडिट पर विचार करना।
- गरीबी हटाने और दूसरे सरकारी कार्यक्रमों का फायदा किन लोगों को मिले यह तय करना।
- ग्राम पंचायतों को सौंपी गई सामाजिक संस्थाओं पर पंचायत के जरिये नियंत्रण रखना।
- गांव के इलाके के जमीन, पानी, जंगल और खदानों की नियम के अनुसार देख-रेख करना।
- तालाबों के उपयोग और उनके इंतजाम में ग्राम पंचायत को सलाह देना।
- स्थानीय योजना के लिए पैसा कहां से आ रहा है और किस प्रकार से खर्च हो रहा है इस पर नियंत्रण रखना।

- यदि जनपद और जिला पंचायत ग्राम पंचायतों को कोई काम सौंपते हैं तो वह भी ग्राम सभा के सामने विचार के लिए पेश होगा।
- यदि सरकार कलेक्टर या दूसरे अधिकारी के जरिये पंचायत को कोई काम सौंपती है तो वह भी ग्रामसभा की बैठक में विचार के लिए पेश किया जायेगा।

सुखिया- ग्रामसभा को प्राप्त अधिकार क्या है?

नर्मदा - ग्रामसभा निम्न अधिकार प्राप्त है-

- सामाजिक तथा आर्थिक विकास की विकासात्मक योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के अनुमोदन संबंधी शक्तियां।
- गरीबी उनमूलन व अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों की पहचान और चयन का अधिकार।
- पंचायत द्वारा लागू की गई योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी शक्तियां।

सुखिया- उपयुक्त स्तर पर पंचायत को प्राप्त अधिकार क्या हैं?

नर्मदा - लघु जल निकायों की योजना बनाने तथा प्रबंधन की शक्तियां पंचायत को हैं।

सुखिया- ग्रामसभा या उपयुक्त स्तर पर पंचायत की शक्तियां क्या हैं?

नर्मदा - विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण तथा ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास या पुनर्स्थापना के लिए विचार-विमर्श।

गौण खनिजों के लिए पर्वेक्षण लाइसेंस या खदान अनुबंधन देने के लिए पूर्व सिफारिश तथा नीलामी द्वारा गौण खनिजों के खनन के लिए रियायत देना।

सुखिया- अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के अधिकार तथा कार्य क्या हैं?

नर्मदा - किसी अनुसूचित क्षेत्र में, ग्राम सभा की धारा 7 के अधीन प्राप्त शक्तियां तथा कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य भी होंगे, अर्थात -

- मद्यनिषेध प्रवर्तित करने या किसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपभोग को विनियमित या निर्बन्धित करने की शक्ति।
- गौण खनिज, वन उपज का स्वामित्व।
- वनवासियों की परम्पराओं, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों तथा विवादों के निराकरण के परम्परागत तरीकों को सुरक्षित तथा संरक्षित करना।
- ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमें पशु मेला सम्मिलित है, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएं, ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रबंध करना।

- अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण करने की शक्ति।
- सभी सामाजिक सेक्टरों में संस्थाओं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण करने की शक्ति।
- गांव की सीमा के भीतर प्राकृतिक स्त्रोतों को, जिनके अंतर्गत भूमि, जल तथा वन आते हैं, उसकी परम्परा के अनुसार और संविधान के उपबंधों के अनुरूप प्रबंध करना।
- स्थानीय योजनाएं जिनमें जनजातीय उप-योजनाएं भी सम्मिलित हैं, ऐसी योजनाओं के लिए स्त्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना।
- राज्य सरकार द्वारा किसी कानून के अंतर्गत ग्राम सभा को प्रदान की गई शक्तियों व नियमों का पालन करना।

सुख्रिया - ''पेसा कानून'' की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है?

नर्मदा - ''पेसा कानून'' मे यह माना गया है कि ग्राम सभा के रूप में स्वयंभू गांव समाज अपनी पूरी व्यवस्था स्वयं करने के लिए सक्षम है, इस बात को सविधान में दर्ज किया गया है। इससे अब :

- जल, जंगल, जमीन सभी संसाधन गांव समाज के अधीन है। सरकार भी उसकी इजाजत के बिना उन्हें छू तक नहीं सकेगी। विकास की नकेल भी अब गांव समाज के हाथ में है। रूपया, बाजार और कर्ज पर चौकसी उसका काम है। सभी विवादों को निपटाना और शराब खोरी सहित हर तरह के झगड़े की जड़ मिटाना उसकी जिम्मेदारी है। हर तरह की संस्था, उसके कर्मचारी एवं कार्यकर्ता और पंचायत के पंच-सरपंचों पर भी उसी का नियंत्रण है।
- ''पेसा कानून'' में ग्राम सभा सबसे ऊपर है। ग्रामसभा संसद से भी ऊपर उसके अधिकार क्षेत्र में कोई सेंध नहीं लग सकता क्योंकि सत्ता अब लोगों के हाथ में है। यह कानून संकट में फंसे अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की मानवीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करता है।

11. मछुआरों एवं कचरा बीनने वालो के अधिकार

मछुआरों के अधिकार

क़ानून के आधार पर मछुआरों को दो तरह से देखा जाता है। एक तो वह मछुआरे जो बड़ी मोटर चलित नौकाओं से मछली का शिकार करते हैं और दूसरे वह जो छोटे स्तर पर छोटी नौकाओं एवं कम पानी में जाल डालकर मछली पकड़ते हैं। यह मछुआरे नदियों एवं समुद्र दोनों के मत्स्य स्रोत पर निर्भर हैं।

छोटे स्तर पर मछली कपड़ने वाले मछुआरों को ''कांटा मारान'' या ''पगड़िया फिशरमेन'' बोलते हैं, क्योंकि वह अपने गांवों से कई कोस का फ़ासला तय करके दरिया तक मछली पकड़ने जाते हैं। जिस क़ानून में मछुआरों को संरक्षण दिया गया है उसका नाम है सी.आर. जेड. नोटीफिकेशन, 2011 (कोसटल रेगूलेशन जोन नोटीफिकेशन)। सी.आर.जी. के अंतर्गत मछुआरों को निम्नलिखित अधिकार हैं-

- उनके बन्दर (मछली सुखाने के क्षेत्र) उनसे किसी विकास योजना के अंतर्गत नहीं लिये जा सकते।
- मछुआरों की क्रीक (समुंदर में जाने का रास्ता जिसके सहारे वह अपनी नौका बांधते हैं और समुद्र में जाते हैं।) किसी विकास परियोजना के अंतर्गत बंद नहीं कराये जा सकते।
- मैनग्रोव के पेड़ जिनमें मछलियां अंडे देती हैं वह नष्ट नहीं किये जा सकते।
- मछुआरों के समंदर जाने का रास्ता नहीं रोका जा सकता, उसके लिए यदि किसी कारणवश उनके पारम्परिक रास्ते में कोई बाधा आती है तो उन्हें दूसरी जगह पुनर्स्थापित किया जायेगा।
- मछुआरों का पुनर्स्थापन उनकी सहमति से ही हो सकता है।

कचरा बीनने वालों के अधिकार

समाज के पिछड़े वर्ग एवं निम्न श्रेणी का काम करने वालों को संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सभी मानव अधिकार प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत प्लास्टिक नियमों में कचरा बीनने वालों, खासकर पोलीथीन बीनने वालों को निम्न अधिकार दिये हैं-

- पोलीथीन इकट्ठा करने वालों को सरकार (राज्य) की ओर से मदद दी जाती है।

- इसका दायित्व म्यूनिसिपालिटी या नगर निगम का है।
- वो संगठन या लोग जो कचरा बीनते हैं उनको पहचान कर उन्हें रोजगार देना यह, नगर निगम या जिला परिषद अथवा ब्लॉक पंचायत का कार्य है।
- पंचायतों को निर्देश दिये गये हैं कि ऐसे कार्य के लिए 'सहायता केन्द्र' खोले जायें।
- कचरा बीनने वालों को (वेस्ट टू एनर्जी प्लांट) लगने की वजह से जो नुकसान पहुंचेगा उसकी भरपाई सरकार करेगी। जिस क्षेत्र में 'वेस्ट एनर्जी प्लांट' लगेगा वहां के कचरा बीनने वालों का यह अधिकार है कि वो सरकार से मुआवजा लें।

हमने अब तक जाना....

हमारे देश में प्रजातंत्र है। इसमें पंचायत एक ऐसी व्यवस्था है जो जनभागीदारी से आदर्श समाज का निर्माण करती हैं विकास की जिम्मेदारियां निभाती है। गांव के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पंचायती राज की अहम भूमिका है। पंचायती राज सत्ता विकेन्द्रीकरण की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस व्यवस्था में ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से कानूनी व्यवस्थाओं द्वारा ग्रामीण भारत का विकास किया जा रहा है।